



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

फा. सं.16/15/2026-प्रशा.

दिनांक : 28/09/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति हेतु परिषदके संस्थानों के निदेशकों / निदेशक प्रभारियों एवं परिषद मुख्यालय के वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशासन) की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने के संबंध में।

परिषदमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने से संबंधित सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, परिषद के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनानुसार मुझे यह बताने का निदेश हुआ है कि परिषदके संस्थानों के निदेशक/ निदेशक प्रभारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की स्वीकृति हेतु मौजूदा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) से बढ़ाकर ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) किया जाता है। परिषद मुख्यालय के वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.) के पास परिषद मुख्यालय में ऐसे दावों की स्वीकृति हेतु ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) की वित्तीय शक्ति होगी।

2. बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का उपयोग चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और बजट प्रावधानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

-हस्ता-

(जयबीर सिंह)

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

1. परिषद मुख्यालय एवं परिषद के सभी संस्थानों के निदेशक/निदेशक प्रभारी।

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक/ अपर महानिदेशक (दोनों)/ वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव, परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. उप महानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (दोनों)/ प्रशासन अधिकारी (प्रशा.), परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. एमआर प्रकोष्ठ/ परिषद मुख्यालय।
4. डॉ. एम. एस. चालगा, वैज्ञानिक- ई, उक्त को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।